fax / e-mail

सर्वोच्च प्राथमिकता / उ0प्र0गो-सेवा आयोग/ महत्वपूर्ण

संख्या- 1025 /6-पु-2-2018- 63(विविध) /2017

प्रेषक,

भगवान स्वरूप

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग -2 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2018

विषय- उ0प्र0 गो सेवा आयोग की बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि दिनांक 19 जून, 2018 को मा0 पशुधन मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित गो सेवा आयोग की बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें पशुओं के साथ हो रही क्रूरता एवं इसके निवारण हेतु संगत अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श किया गया।

2- उक्त विचार विमर्श के दौरान गृह विभाग से यह अपेक्षा की गयी कि इस दिशा में शीघ्र ही निर्देश निर्गत किये जायें। अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने संबंधित जनपद में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

" जनपद में लगने वाले पशु-हाट को चिन्हित कर लिया जाये। पशु-हाट से जो पशु कटने के लिए भेजे जाते हैं, उनको बडे अमानवीय तरीके से बहुत अधिक संख्या में एक ही वाहन में डालकर ले जाया जाता है जिससे उनकी हड्डियां आदि टूट जाती हैं जो पशु क्रूरता प्रतिषेध अधिनियम का उल्लघंन है। **अत: यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पुशओं को अमानवीय रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कृत्य पर उपरोक्त अधिनियम/ नियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाए। "**

इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि **गऊचर / चारागाह भूमि** पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाये तथा अतिक्रमण पाये जाने पर इसे हटाने हेतु तत्परतापूर्वक विधिसंगत कार्यवाही की जाये।

3- उल्लेखनीय है कि विधिक सलाहकार, उ0प्र0गो सेवा आयोग के पत्रांक-1190/लीगल, दि0 12-02-2018 द्वारा भी उ0प्र0गोवध निवारण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम व तद्धीन नियमों का कडाई से अनुपालन व प्रभावी अभियोजन किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश भी समस्त जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को निर्गत किये गये हैं।

4- कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

संख्या- 1025 (1) /6-पु-2-2018- 63(विविध)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग, दसवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश।
4. विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. नोडल अधिकारी/ पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0पशुधन मंत्री जी, उ0प्र0शासन।
7. गृह (पुलिस) अनुभाग-3
8. वेब मास्टर, गृह नियंत्रण कक्ष को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।